

राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर — 302004 दूरभाष :- 0141-2711070, संस्थापन-द्वितीय :- 2256702 E-mail : asttregistrarestt2@gmail.com

स्मरण पत्र

क्रमांकः संस्था-2/2025/ 4021-22

दिनांक: 30/8/2025

1. Kiran Enterprises, 67—ए, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, 302029।

2. A1 Services, डी-9 ∕ 39, चित्रकूट योजना, सेक्टर-9, वैशाली नगर,

जयपुर, 302021।

विषय:— आपके माध्यम से उपलब्ध श्रमिकों के द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध संदर्भ:— कार्यालय पत्र क्रमांक संस्था—2/2025/3915—16 दिनांक 28.08.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2025 के द्वारा 'बोली की शर्त की शर्त संख्या—30 व 35 के क्रम में यह अवगत कराया गया था कि आप आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को तुरन्त कार्य पर लौटने हेतु सूचित करें अथवा दिनांक 23.06.2025 एवं उसके पश्चात् जारी आदेशों के अनुसार दूसरे श्रमिक विश्वविद्यालय में उपलब्ध करावें।

आपके द्वारा उक्त पत्र की पालना में कोई कार्यवाही आदिनांक तक नहीं की गयी है। जिससे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। आपके माध्यम से उपलब्ध श्रमिक विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमित धरना प्रदर्शन कर रहे है, जबिक उन श्रमिकों का विश्वविद्यालय से सीधे कोई सम्बन्ध नहीं है, आपके माध्यम से उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आपकी है।

आपके माध्यम से उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों को आप राजस्थान विश्वविद्यालय से धरना प्रदर्शन समाप्त करने हेतु निर्देशित करें व इन श्रमिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें तथा संदर्भित पत्र के क्रम में नये श्रमिक उपलब्ध करवायें।

संदर्भित पत्र व वर्तमान पत्र की पालना न किये जाने पर संवेदक के विरूद्ध निविदा सती व अनुसरण में कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(राजकुमार कस्वा) कुलसचिव

क्रमांकः संस्था-2/2025/4023-4093

दिनांक: 30/8/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक / अशैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स / केन्द्रीय पुस्तकालय / पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि.,जयपुर।

4. मुख्य कुलानुशासक / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।

5. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र / छात्रा), रा.वि.वि., जयपुर।

6. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।

7. विश्वविद्यालय अभियन्ता, अभियंता कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।

प्रभारी अधिकारी, अतिथि गृह / उद्यान विभाग / स्वास्थ्य केन्द्र (तीनों इकाई), रा.वि.वि. जयपुर।

परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

10. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

11. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

12. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, रा.वि.विं., जयपुर।

(डॉ. राज कुमार जैन) अतिरिक्त कुलसचिव

H:\Estt.-II\Harsh\2025\Letter Head Format 2025.docx